

एफ. सं. 5-21/2007-एमडीएम 2-1

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

मध्याह्न भोजन योजना

शास्त्री भवन, नई दिल्ली,

16 जनवरी, 2013

### अधिसूचना

स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में राष्ट्रीय जांच एवं अनुवीक्षण समिति की स्थापना की परिकल्पना निम्नलिखित के लिए की गई है:

- (i) केन्द्र और राज्य सरकारों को नीतिगत परामर्श प्रदान करने के लिए।
- (ii) कार्यान्वयन एजेंसियों को निर्देशन के लिए।
- (iii) कार्यक्रम कार्यान्वयन के अनुवीक्षण, इसके प्रभाव के मूल्यांकन और सुधारात्मक उपाय करने के लिए।
- (iv) स्वतंत्र अनुवीक्षण मूल्यांकन एजेंसियों की रिपोर्टों पर कार्रवाई करने के लिए
- (v) संबंधित विभागों, एजेंसियों (अर्थात् एफसीआई) तथा योजनाओं के बीच समन्वय और समाभिरूपता लाने के लिए।
- (vi) सामुदायिक सहायता देने और कार्यक्रम हेतु सार्वजनिक निधि भागीदारी को बढ़ाने के लिए।
- (vii) प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, अनुवीक्षण और मूल्यांकन तथा राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम से जुड़े अनुसंधान को करने के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों तथा अन्य उपयुक्त संस्थाओं का पता लगाने के लिए।

2. दिनांक 27 सितंबर, 2007 की अधिसूचना संख्या एफ.5-21/2007-ईई.-5 द्वारा गठित राष्ट्रीय जांच एवं अनुवीक्षण समिति को एतद्वारा निम्नलिखित सदस्यों के साथ पुनर्गठित किया जाता है:

- |   |            |
|---|------------|
| i) सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार | अध्यक्ष    |
| ii) वित्तीय सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय                                 | पदेन सदस्य |
| iii) मुख्य सलाहकार/सलाहकार (शिक्षा) योजना आयोग                                  | पदेन सदस्य |
| iv) निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद                      | पदेन सदस्य |
| v) कुलपति, एनयूईपीए   | पदेन सदस्य |

निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव के पद से नीचे के नहीं) भी पदेन सदस्य होंगे (संबंधित सचिवों द्वारा नामित किए जाएंगे):

- i) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
- ii) उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय)
- iii) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- iv) ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग)
- v) शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय
- vi) युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
- vii) जनजातीय कार्य मंत्रालय
- viii) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

निम्नलिखित तरह सदस्यों का नामांकन माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री के अनुमोदन से अध्यक्ष द्वारा दो वर्षों की अवधि या उनके उत्तराधिकारी के नामांकन प्राप्त होने तक, जो भी बाद में हो, किया जाता है।

पोषाहार के क्षेत्र में दो विशेषज्ञ

1. निदेशक, राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान
2. निदेशक, भारतीय पोषाहार फाउंडेशन

चार व्यक्ति जिनमें से कम से कम दो महिलाएं होंगी जिनका पोषाहार, बाल कल्याण, समुदाय/महिला गतिशीलता, स्कूल शिक्षा, बाल स्वास्थ्य, स्कूल मध्याह्न भोजन के क्षेत्र में योगदान/उपलब्धियां

1. श्री बिराज पटनाइक, मुख्य सलाहकार, सर्वोच्च न्यायालय आयुक्त का कार्यालय
2. प्रो० शोभा ए. उडिपी, विभाग प्रमुख, खाद्य एवं पोषण इकाई, खाद्य विभाग, विज्ञान एवं पोषण
3. डॉ० उमा अय्यर, रीडर, खाद्य और पोषण इकाई, एम.एस. बड़ौदा विश्वविद्यालय, प्रतापगंज, वड़ोदरा
4. अक्षय पात्र के प्रतिनिधि (श्री चंचलपति दास, उपाध्यक्ष)

पांच राज्यों के प्रतिनिधि (प्रत्येक क्षेत्र से एक)

1. कर्नाटक



2. झारखंड
3. जम्मू और कश्मीर
4. मेघालय
5. गुजरात

सेवा के विशिष्ट रिकार्ड के साथ दो प्राथमिक स्कूल अध्यापक (जिसमें से कम से कम एक महिला होगी)

1. सुश्री परीब्रेका आत्महृदय, प्रधानाध्यापिका, श्री रामकृष्ण शारदा स्कूल, झरग्राम, पश्चिम बंगाल
2. श्रीमती डी. सुजाथा, माध्यमिक ग्रेड शिक्षक मंडल परिषद प्राथमिक स्कूल, टीएमवी कन्द्रीगा, श्रीकलाहस्ती मंडल, जिला-चित्तूर, आंध्र प्रदेश


ix) डॉ० नागेश सिंह, आर्थिक सलाहकार, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय सदस्य

x) संयुक्त सचिव/अपर सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में सदस्य सचिव मध्याह्न भोजन योजना के प्रभारी

3. उपर्युक्त सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष तक अथवा उनके उत्तराधिकारियों का नामांकन होने तक, इनमें से जो भी बाद में हो, होगा। एनएसएमसी की बैठक प्रत्येक छः महीने में कम से कम एक बार होगी।

4. एनएसएमसी को सचिवालय सहायता स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के प्रारंभिक शिक्षा ब्यूरो-1 के द्वारा प्रदान की जाएगी।

5. यह माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार के अनुमोदन से जारी किया गया।

  
(गया प्रसाद)

निदेशक (एमडीएम)

दूरभाष: 011-2338 4253

फैक्स: 011-2338 2394

ईमेल- [gaya.prasad@nic.in](mailto:gaya.prasad@nic.in)

**प्रतिलिपि प्रेषित:**

- |  |  |
|--|--|
| 1. मानव संसाधन विकास मंत्री के निजी सचिव                             | मानव संसाधन विकास  |
| 2. राज्य मंत्री (जितिन प्रसाद) के निजी सचिव                          | मंत्री/ मानव संसाधन  |
| 3. राज्य मंत्री (शशि थरूर) के निजी सचिव                              | विकास राज्य मंत्री (जितिन  |
| 4. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव | प्रसाद)/ मानव संसाधन   |
| 5. उच्चतर शिक्षा विभाग के सचिव के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव            | विकास राज्य मंत्री (शशि थरूर)/सचिव (स्कूल शिक्षा और साक्षरता)/सचिव (उ.शि.) को सूचनार्थ |

**नामित सदस्यों को एनएसएमसी की बैठकों में उपस्थित होने के अनुरोध के साथ सूचनार्थ**

6. निदेशक, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, तर्नाका जमाई - उस्मानिया पोस्ट, हैदराबाद-500007
7. डॉ० प्रेम रामचन्द्रन, निदेशक भारतीय राष्ट्रीय पोषण प्रतिष्ठान, सी-13 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110016
8. श्री बिराज पटनायक, प्रधान सलाहकार, उच्चतम न्यायालय आयुक्त कार्यालय, बी-68, दूसरा तल सर्वोदय एन्क्लेव, नई दिल्ली-110017
9. प्रो० शोभा ए. उदिपी, विभागाध्यक्ष, खाद्य और पोषण एकक, खाद्य विज्ञान और पोषण विभाग, एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय मुंबई-400049
10. डॉ० उमा अय्यर, रीडर, खाद्य और पोषण एकक, एमएस विश्वविद्यालय, बड़ौदा, प्रतापगंज, वडोदरा-390002, बड़ौदा गुजरात
11. अक्षय पात्र के प्रतिनिधि (श्री चंचलपति दास, उपाध्यक्ष) अक्षय पात्र प्रतिष्ठान, एच.के. हिल, कोर्ड रोड, बंगलौर-560010
12. श्री जी. कुमार नायक, सचिव, कर्नाटक सरकार, प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा विभाग, कमरा सं. 641, छठा तल, एमएस बिल्डिंग, गेट नं. 2, बंगलौर-560001
13. श्री बी.के. त्रिपाठी, प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड सरकार, एमडीआई बिल्डिंग ध्रुव, रांची-834001



14. श्री फारूक अहमद फाक्टू, आयुक्त-सह-सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार, सिविल सचिवालय, श्रीनगर-190001
15. श्री पी.एस. थांग्खी, अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, मेघालय सरकार, शिलांग-796001
16. श्रीमती संगीता सिंह, प्रधान सचिव, गुजरात सरकार, शिक्षा विभाग, नया सचिवालय, ब्लॉक नं. 5, 7वां तल, गांधी नगर-383010
17. सुश्री परिव्रेका आत्महृदय, मुख्याध्यापिका श्री राम कृष्ण शारदा स्कूल, झरग्राम, पश्चिम बंगाल
18. श्रीमती डॉ० सुजाता, माध्यमिक ग्रेड अध्यापक, मंडल परिषद प्राथमिक विद्यालय, टीएमवी कंदिगा, श्रीकलाहस्ती मंडल, जिला चित्तूर, आंध्र प्रदेश-517641

क्रम सं. 17 और 18 पर दिए गए उपर्युक्त नामित अध्यापकों को एनएसएमसी की बैठकों में उपस्थित होने की अनुमति प्रदान करने के अनुरोध के साथ सूचनार्थ

19. श्री अन्नब रॉय, सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, विकास भवन, सॉल्ट लेक, पश्चिम बंगाल, कोलकाता-700091
20. श्री राजेश्वर तिवारी प्रधान सचिव, आंध्र प्रदेश, स्कूल शिक्षा विभाग, सचिवालय बिल्डिंग, 'जे' ब्लॉक, III तल, हैदराबाद-500022

निम्नलिखित को सूचनार्थ:

21. वित्त सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय।
22. प्रधान सलाहकार/सलाहकार (शिक्षा), योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
23. निदेशक, एनसीईआरटी, श्री अरबिन्दो मार्ग, नई दिल्ली।
24. कुलपति, एनयूईपीए, श्री अरबिन्दो मार्ग, नई दिल्ली।
25. अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली।
26. सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।

27. सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
28. सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
29. सचिव, शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
30. सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
31. सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
32. सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
33. सचिव, युवा कार्य और खेल मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
34. प्रधान सचिव/सभी राज्यों में मध्याह्न भोजन योजना कार्यान्वित करने वाले नोडल विभाग के सचिव/कर्नाटक, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, मेघालय और गुजरात के अतिरिक्त सभी संघ राज्य क्षेत्र।
35. डॉ० नागेश सिंह, आर्थिक सलाहकार (शिक्षा), स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
36. सर्व शिक्षा अभियान के सभी राज्य परियोजना निदेशक।
37. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्राथमिक/प्रारंभिक शिक्षा निदेशक/आयुक्त, पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान/आयुक्त एवं निदेशक, स्कूल और जन शिक्षा विभाग, उड़ीसा/निदेशक, समाज कल्याण और पौष्टिक भोजन कार्यक्रम विभाग, तमिलनाडु/निदेशक, पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग, मध्य प्रदेश।
38. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सभी संयुक्त सचिव।
39. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सभी प्रभागीय प्रमुख।
40. प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद।

गया प्रसाद  
(गया प्रसाद)

निदेशक (एमडीएम)

दूरभाष: 011-2338 4253

फैक्स: 011-2338 2394

ईमेल- gaya.prasad@nic.in